माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म. प्र.

(26)

प्रकरण कमांक /19 निगरानी

नि-0272/2019/ग्वालियर/भू.रा.सं.

डी.एस. नरवरिया अभि०
14-2-19

प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 7-3-19 नियत।

14-2-19
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

7.3.19

Commissioner of Oaths for High Court Gwalior
Smt. Anita Sharma
Oaths Commissioner
Gwalior (M.P.)

जत्तोबाई उर्फ जावित्री पत्नी भीकम सिंह पुत्री स्व. रघुनाथ निवासी ग्राम मोहना, तह. डबरा व जिला ग्वालियर म. प्र.

निगरानीकर्ता/प्रतिअपीलार्थी क. 1

विरूद्व

1—मैसर्स पुष्पांजली कैप्स लि. द्वारा डायरेक्टर सुनील गांधी पुत्र शिवलाल गांधी

2—सनलाइफ स्पेश प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर सुनील गांधी पुत्र शिवलाल गांधी निवासी 17 श्रीराम कालोनी झांसीरोड ग्वालियर म. प्र.

....प्रतिनिगरानीकर्तागण /अपीलार्थीगण

3—सभाराम

4—अकबर सिंह

5—भूरासिंह उर्फ गिरवर सिंह पुत्रगण स्व. श्री रघुनाथ सिंह निवासी ग्राम सिरौल तहसील व जिला ग्वालियर म. प्र.....**प्रतिनिगरानीकर्तागण /प्रतिअपीलार्थीगण**

माननीय न्यायालय सपना निगम , अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र. के प्रकरण कमांक 753/2015—16 अपील उनवान मैसर्स पुष्पांजली कैम्पस आदि बनाम जत्तोबाई आदि में पारित आदेश दिनांक 05/12/2018 के विरूद्व भू राज्यसंहिता की धारा 50 के अधीन निगरानी

माननीय,

निगरानीकर्ता/प्रतिअपीलार्थी क. 1 की ओर से निगरानी आवेदनपत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है—

1— यहकि, प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय के द्वारा नामांतरण पंजी क,—70 दिनांक 02/09/2011 में पारित आदेश दिनांक 10/10/2011 के द्वारा भूमिस्वामी रघुनाथ के फौत होने पर उनके वारिसान सभाराम सिंह, अकबर सिंह एवं भूरा सिंह के हक में नामांतरण का आदेश पारित किया गया। इस कार्यवाही के विरूद्व रेस्पो. जत्तोबाई के द्वारा अ.वि.अ. के समक्ष दिनांक 16/06/2015 को उक्त नामांतरण आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते

क्र./7

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 272/2019/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-3-2019	आवेदिका की ओर से श्री डी.एस. भदौरिया, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु वापिस किये जाने का अनुरोध किया गया । आवेदिका के अभिभाषक का अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्हें प्रकरण वापिस किया जाता है । अध्यक्ष	